न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 71/2019

रामगोपाल पुत्र भंवरलाल जाति चमार (बैरवा) निवासी कालुपुरा सीसवाली तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांकः 20.09.2019 निर्णय दिनांक : 02.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 193 खसरा नं0 295 रकबा 1.25 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर भूरया दर्ज हो रहा है। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम भंवरलाल है। जिसको वादी भूरया के स्थान पर भंवरलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी के पिता नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि में भंवरलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपने पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में भूरया के स्थान पर भंवरलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम भूरया के स्थान पर भंवरलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 20.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक–राजस्व/2021/854 दिनांक 29.09.2021 के अनुसार भंवरलाल को भूरया के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति भंवरलाल व भूरया एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त व्यक्ति का नाम रामगोपाल पुत्र भूरया के स्थान पर रामगोपाल पुत्र भंवरलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व रामनाथ पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी सीसवाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 193 खसरा नं0 295 रकबा 1.25 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी के पिता का नाम रामगोपाल पुत्र भूरया के स्थान पर रामगोपाल पुत्र भंवरलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पिता के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner